



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1860

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 35966 वर्ष 2025

अजीत पटेल

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: बिपिन

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका अभियुक्त आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 274/2025 में भारतीय

न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) और उत्तर प्रदेश लोक परीक्षा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पुलिस स्टेशन, कोतवाली, जिला जालौन में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में उपस्थित हुआ था और उसे वहां से संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। आवेदक यह परीक्षा स्वयं दे रहा था, किसी और के स्थान पर नहीं। उन्होंने बताया कि आवेदक को अजीत पटेल और आनंद कुमार, इन दो नामों से जाना जाता है और उसने हाई स्कूल का कोई फर्जी दस्तावेज प्राप्त नहीं किया है। आवेदक के पास दो हाई स्कूल प्रमाणपत्र होने का आरोप मनगढ़ंत है और आवेदक को उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि इस कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले में, आवेदक के खिलाफ 28.10.2025 को आरोपपत्र दाखिल किया गया है और संबंधित न्यायालय ने 29.10.2025 को संज्ञान भी लिया है। उनका कहना है कि आवेदक को किसी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक 07.09.2025 से जेल में बंद है। उसका निवेदन है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसका निवेदन है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत के लिए निवेदन किया गया है।

माननीय एजीए ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **अजीत पटेल** को, मुकदमा अपराध संख्या के अंतर्गत, व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि में प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।